तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील/एलआर/3689/2006/करौली आम जनता ग्राम लोहरा केलादेवी बनाम हरफूल	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री जे.के. पारीक, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री एन.के. गोयल, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक –22.02.2018

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–03–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 लगायत 4 के पूर्वज रामहेत पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 2810 रकबा 10बीघा भूमि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09–06–1976 को आंवटित की गयी। इस आवंटन आदेश को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थीगण ने जिला कलक्टार, करौली के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14(4) का प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 09–01–2001 से आंशिक स्वीकार कर 05बीघा आवंटन को निरस्त कर दिया तथा शेष 05बीघा आवंटन को बहाल रखाा। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–03–2006 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3689/2006/करौली आम जनता ग्राम लोहरा केलादेवी बनाम हरफूल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर आवंटी द्वारा कभी कोई काश्त नहीं की और ना ही आवंटी ने आवंटन नियमों की पालना की थी, इस कारण आवंटी को किया गया सम्पूर्ण भूमि का आवंटन निरस्त योग्य था किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने 05बीघा भूमि के आवंटन को बहाल रखने में विधिक त्रुटि कारित की। उनका कथन है कि विवादित भूमि पशुओं के चराने के कार्य में आती है तथा विवादित भूमि आवंटन योग्य भूमि नहीं होकर सार्वजनिक हित की भूमि थी, जिसका आवंटन प्रत्यर्थीगण के पूर्वज के पक्ष में नहीं किया जा सकता था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रत्यर्थीगण संख्या–1 से 4 के पूर्वज के पक्ष में हुए आवंटन आदेश को निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में 2010 आरआरटी II पेज 898, 2005 आरबीजे पेज 544, 2006 आरआरटी पेज 224, 2001 आरआरटी II पेज 1159, 2007 आरबीजे पेज 492, 2002 आरआरडी पेज 01, 2000 आरआरडी पेज 490, 2017 आरबीजे पेज 443, 2002 आरआरडी पेज 41 एवं 2014 आरबीजे पेज 527 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3689/2006/करौली आम जनता ग्राम लोहरा केलादेवी बनाम हरफूल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी का आवंटन नियमानुसार उनके पक्षकार के पूर्वज के पक्ष में किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि आवंटी ने आवंटन की शर्तो की पूर्ण पालना की गयी है तथा उनके द्वारा विवादित भूमि का आवंटन तथ्यों को छुपाकर अथवा मिथ्या कथनों के आधार पर प्राप्त किया जाना प्रमाणित नहीं है। उनका कथन है कि विवादित आराजी का आवंटन उनके पक्षकार के पक्ष में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटन किया गया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 लगायत 4 के पूर्वज रामहेत पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 2810 रकबा 10बीघा भूमि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09–06–1976 को आंवटित की गयी। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी के आवंटन हेतु प्रत्यर्थी संख्या–1 से 4 के पूर्वज रामहेत की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें खसरा नम्बर 2810 की 05बीघा भूमि आवंटन किये जाने की प्रार्थना की गयी। आवंटन सलाहकार समिति ने आपस में विचार विमर्श कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2810 की 05बीघा (ओवर राईटिग कर 10बीघा) भूमि के आवंटन किये जाने की सिफारिश की गयी, जिसके आधार पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3689/2006/करौली आम जनता ग्राम लोहरा केलादेवी बनाम हरफूल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवंटन अधिकारी उप जिलाधीश करौली द्वारा आवेदक रामहेत पुत्र हरीला के पक्ष में खसरा नम्बर 2810 की 10बीघा भूमि आवंटित किये जाने का आदेश जारी किया गया, जिसमें भी पांच बीघा पर ओवर राईटिग कर 10बीघा किया गया। जिला कलक्टर द्वारा इसी ओवर राईटिग के मद्देनजर खसरा नम्बर 2810 की 05बीघा भूमि के आवंटन को बहाल रखा गया है। जहां तक आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने का प्रश्न है, पत्रावली में कब्जा रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गयी, जिसमें आवंटी को दिनांक 5–9–1976 को आवंटित भूमि का कब्जा दिये जाने का उल्लेख है। उक्त से स्पष्ट है कि आवंटन अधिकारी ने आवंटन से पूर्व निर्धारित समस्त प्रक्रिया की पूर्ण रूप से पालना करते हुए विवादित आराजी खसरा नम्बर 2810 की 05 बीघा भूमि का आवंटन प्रत्यर्थी संख्या–1 से 4 के पूर्वज रामहेत के पक्ष में किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण पूर्णरूपेण चस्पा नहीं होते है। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटी द्वारा तथ्यों को छुपाकर अथवा मिथ्या कथनों के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन प्राप्त किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। ना ही आवंटन उपरान्त आंवटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना किया जाना प्रमाणित होता है। उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3689/2006/करौली आम जनता ग्राम लोहरा केलादेवी बनाम हरफूल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	